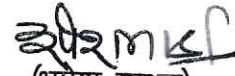


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-414) अलेसे-1/1469-1475 दिनांक:- 07/11/23

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1166 दिनांक 27.09.2023 द्वारा श्री मदन लाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-पंचायत समिति, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड) को दिनांक 10.11.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई थी, परन्तु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री मदन लाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-पंचायत समिति, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्राप्त प्रस्ताव के फलस्वरूप श्री वर्मा को स्वीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 27.09.2023 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-414) अलेसे-1/1469-1475 दिनांक:- 07/11/23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोटपूतली-बहरोड।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड)।
5. श्री मदन लाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-पंचायत समिति, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड)।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)